5 जिलों में हिमाचल में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले कुल्लू, लाहुल, चंबा, किन्नौर व शिमला हैं। प्रदेश में बर्फबारी और ओलावृष्टि के चलते 209 सड़कें बंद हो गई हैं।

न्यूज गैलरी

नक्सली संपर्क में उस्मानिया विवि के प्रोफेसर गिरफ्तार

हैदराबाद : उस्मानिया तेलंगाना पुलिस ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सी. कासिम को नक्सलियों से संपर्क के शक में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार सुबह प्रोफेसर के आवास की तलाशी भी ली। इस दौरान कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक सुबूत मिले हैं। सिद्दिपेट पुलिस आयुक्त डी जोएल डेविस ने कहा कि कुछ सुबूत मिले हैं। कासिम ने हाल में 'वीरसम' (क्रांतिकारी लेखक संघ) के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी पत्नी स्नेहलता ने आरोप लगाया कि उस्मानिया विवि के शिक्षक पर दर्ज मामला आधारहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 50 पुलिसकर्मी विवि परिसर स्थित उनके आवास पर सुबह आए और दरवाजा नहीं खोलने पर उसे तोड़ दिया। स्नेहलता ने कहा कि मुलुगु थाने में 2016 में दर्ज मामला कार हादसे से जुड़ा था और पुलिस ने उस समय दो किताबें बरामद की थीं जिसके लेखक कासिम थे और उस किताब के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भाकपा नेता नारायण ने सरकार पर जानबूझकर बुद्धिजीवियों को नक्सलियों से संबंध रखने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। (एएनआइ)

मोदी वाले बयान पर राहुल गांधी को समन

रांची : रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी 22 फरवरी को पक्ष रखने का आदेश दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी द्वारा दर्ज कराए गए 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सिविल कोर्ट में दर्ज कराई गई इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं। (राब्यू)

कोर्ट में हाजिर नहीं होने से हार्दिक पटेल गिरफ्तार

अहमदाबाद : राजद्रोह के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के चलते सत्र न्यायालय की ओर से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षण आंदोलन से चर्चित होने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक एक बार फिर कानून के चंगुल में फंस गए हैं। अहमदाबाद में राजद्रोह के तहत दर्ज मुकदमे की पेशी पर हाजिर नहीं होने के चलते सत्र न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसी के आधार पर पुलिस ने उन्हें गांव विरमगाम से गिरफ्तार कर लिया। (जासं)

प्रदीप और मनोज शाह दोषी करार

गुड़िया दुष्कर्म मामला ▸ 30 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा, पिता ने कहा– मिले फांसी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

बहुचर्चित गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा स्थित पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने प्रदीप कुमार और मनोज शाह को दोषी करार दिया। 30 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। बच्ची के पिता और चाचा ने फैसले पर खुशी जाहिर की, लेकिन इसमें देरी पर दुख जताया। पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोषियों को फांसी की सजा मिले।

न्यायाधीश ने अपने 100 पेज के फैसले में बहुत सख्त टिप्पणी की। इस मामले में 59 लोगों की गवाही हुई थी। अभियोग के मुताबिक 5 अप्रैल 2013 की शाम को बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। मनोज शाह वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया। यहां बच्ची को बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी देकर अपने साथी प्रदीप के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दो दिन तक पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। दोषियों ने बच्ची के गुप्तांग में बोतल, मोमबत्ती और कई चीजें डाल दीं। इसके बाद उसको कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। दो दिन तक पीड़िता के परिवार वाले उसे ढूंढते रहे। पीड़िता ने हिम्मत करके अंदर से गेट खटखटाया। एक पड़ोसी ने आवाज सुनी। शक होने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो बच्ची खून से लथपथ थी। गंभीर हालत में उसे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पांच सर्जरी हुईं।

इन धाराओं में ठहराया दोषी: कोर्ट ने प्रदीप कुमार और मनोज शाह को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की कोशिश, सुबूत मिटाने और पॉक्सो के तहत आइपीसी की धाराओं 342 (गलत बयान), 363(अपहरण), 376 (2)(गैंगरेप), 201(सबूतों से छेड़छाड़), 304 (हत्या की कोशिश), 377(अप्राकृतिक कृत्य)के तहत दोषी ठहराया।

मनोज ने मीडियाकर्मी पर बोला हमला: दोषी ठहराए जाने के बाद प्रदीप और मनोज के चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के दौरान मनोज ने वीडियो बना रहीं एक महिला पत्रकार को थप्पड़ मार दिया। पत्रकार ने इसकी शिकायत सुनवाई कर रहे जज नरेश कुमार मल्होत्रा से की। उन्होंने पुलिस को पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।

निर्भया के दोषी के दावे पर सुप्रीम कोर्ट 20 को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र: उच्चतम न्यायालय निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए पवन गुप्ता की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। उसका दावा है कि अपराध के समय वह नाबालिग था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसका दावा खारिज कर दिया गया है। इसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ उसकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही पवन ने अधिकारियों को फांसी की सजा पर अमल रोकने का निर्देश देने की भी अपील है। दोषियों को फांसी देने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई है। उसने हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसके वकील को फर्जी दस्तावेज पेश करने और अदालत में हाजिर नहीं होने के लिए फटकार लगाई गई थी।

कानून के आधार पर तय होती है सजा

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

इस बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि सजा या माफी को लेकर पीड़ित के परिजनों की राय का कानूनी आधार नहीं होता है। फैसला कानून के अनुसार ही होता है। हालांकि दया याचिका के समय दोषी इस तरह के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी ने भी इंदिरा जयसिंह के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में मृत्युदंड को लेकर संतुलन बना हुआ है। पिछले 17 साल में सिर्फ चार लोगों को फांसी हुई है। निर्भया के मामले में बहुत बर्बरता हुई थी।

जल्लाद के लिए फिर पत्र लिखेगा जेल प्रशासन : डेथ वारंट आगे बढ़ने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन उत्तर प्रदेश के जेल विभाग को सोमवार को पत्र लिखकर जल्लाद को फांसी की तिथि से दो दिन पहले तिहाड़ जेल भेजने का आग्रह करेगा। फांसी के लिए पहले 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे अब पहली फरवरी कर दिया गया है। जल्लाद 30 जनवरी तक पहुंचेगा।

दोषियों के वकील को बार काउंसिल का नोटिस : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली बार काउंसिल ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। पवन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर घटना के समय नाबालिग होने का दावा किया था। पिछले साल 19 दिसंबर को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली की जाएगी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

साथ ही बुकिंग कराने वाले ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली की जाएगी। बैंकों से आसान दरों पर ऋण के लिए सरकार ने पहले ही 25 हजार करोड़ रुपये का एक कोष गठित कर दिया है, जिसका उपयोग पहले से फंसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है उसमें बताया जाएगा कि रिटायर्ड आइएएस अधिकारी युद्धवीर मलिक को यूनिटेक का चेयरमैन व प्रबंधन निदेशक बनाने का फैसला किया गया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से मामला चल रहा है।

फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आई थी धांधली: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर यूनिटेक की फॉरेंसिक ऑडिट कराई गई थी। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की 74 परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, जिसमें 30 हजार से अधिक होम बायर्स ने मकान खरीदने के लिए 14270 करोड़ रुपये जमा कराया है। मकान की बुकिंग भी 10 से 12 साल पुरानी हो चुकी हैं। ऑडिट रिपोर्ट में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें पाया गया है कि 5063 करोड़ रुपये का उपयोग इन आवासीय परियोजनाओं के बजाय कहीं और कर दिया गया है। ऑडिट में 2393 करोड़ रुपये का कुछ पता नहीं चला।

कोर्ट के निर्देश पर बढ़ा कदम: एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया था कि यूनिटेक के सभी निदेशकों को बर्खास्त कर उनकी जगह स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाएं। सरकार का यह फैसला उसी निर्देश के अनुरूप है। सरकार के इस फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया कि यूनिटेक कंपनी अब दिवालिया प्रक्रिया में नहीं जाएगी। सरकार के इस फैसले के अमल के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में होम बायर्स का विश्वास लौटेगा और इस क्षेत्र के अटके बाकी प्रोजेक्ट को पूरा करने का विकल्प मिल जाएगा। सरकार को भी इस तरह के रास्ते की तलाश पहले से ही थी। हालांकि आठ दिसंबर, 2017 को एनसीएलटी ने अपने एक फैसले में कंपनी प्रबंधन को निरस्त करने इसका दायित्व स्वतंत्र निदेशकों को सौंपने को कहा था। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कंपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार उसका प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है।

कश्मीरियों के नाम पर सियासत भी होगी कम

प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीरी हिंदू वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य चुन्नी लाल के मुताबिक उनके समुदाय के अधिकांश लोग कश्मीर से चले गए, लेकिन उनके जैसे करीब तीन हजार लोग वहां रहे। वह कहते हैं, हम लोगों की हालत आप देख सकते हैं। कुपवाड़ा, बारामुला समेत वादी के दूरदराज इलाकों में आतंकी हमलों से डरकर लोग श्रीनगर आ गए। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जितनी सियासत कश्मीरियों के नाम पर हुई है, अब उसके समाप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। रविवार को पूरी दुनिया में हम निर्वासन दिवस मनाएंगे।

सीबीआइ अधिकारी बनकर रिश्वत मांगने वाले दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सीबीआइ अधिकारी होने का दावा कर बैंक धोखाधड़ी मामले के एक आरोपित से रिश्वत मांग रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। हाल के समय में इस तरह का यह तीसरा मामला है। लोगों ने एजेंसी के लैंडलाइन नंबर से चकमा देकर उन मामलों के संदिग्धों से रिश्वत की मांग की, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है।

हैदराबाद के रहने वाले वाई मणिवर्द्धन रेड्डी एवं तमिलनाडु के मदुरै निवासी सेल्वम रामराज को गुरुवार को दर्ज किए गए मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया।

उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे विभिन्न लोगों से इन्होंने बड़े पैमाने पर न केवल रिश्वत की मांग की बल्कि उन्हें धमकाया भी। सीबीआइ के प्रवक्ता नितिन वकानकर ने बताया, 'उन्होंने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले के एक आरोपित से संपर्क किया और दिल्ली में तैनात जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर उससे बड़े पैमाने पर रिश्वत की मांग की।' इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

विशाल ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया : मधुरिमा तुली

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

रियलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 13 के प्रतिभागी विशाल आदित्य सिंह और उनकी पूर्व प्रेमिका मधुरिमा तुली के बीच बढ़ते घमासान का आखिरकार पटापेक्ष हो गया। मधुरिमा को घर से बाहर निकाल दिया गया है। दोनों के बर्ताव से शो के मेजबान सलमान खान भी तंग आ गए थे। गुरुवार को प्रसारित एपिसोड में मधुरिमा ने विशाल को फ्राई पैन से मारा था। शनिवार को बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आखिरकार मधुरिमा को घर से बाहर निकाल दिया गया।

शो से बाहर आने के बाद मधुरिमा ने खास बातचीत में बताया कि वह काफी समय से विशाल के साथ रिश्ते को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उनका प्यार झूठा था। विशाल हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उन्हें हाथ उठाना पड़ा। मधुरिमा कहती हैं, 'मुझे अफसोस है कि विशाल ने मुझे नकारात्मक इंसान बना दिया। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि

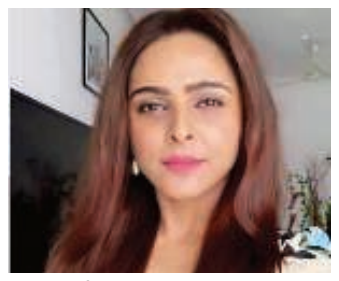

मधुरिमा तुली। फाइल

कोई लगातार मेरी बेइज्जती करे। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। इस घटना को लेकर मुझे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग मेरे इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मेरे इस घटना का मेरे करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है।' विशाल को किसी भी हालत में दोबारा अपनाने से मधुरिमा ने इन्कार किया है। दोनों इससे पहले डांस रियलिटी शो 'नच बलिए' का भी हिस्सा रह चुके हैं। तब भी दोनों के बीच झगड़े, बहसबाजी और मारपीट की नौबत आई थी।

बेटी से दुष्कर्म के प्रयास मामले में गवाह रही मां की हत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर के चकेरी क्षेत्र के जाजमऊ में नाबालिग संग दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गवाह रही पीड़िता की मां की घर में घुसकर हत्या कर दी गई जबकि उसकी बहन जख्मी है। जाजमऊ स्थित शहीद का भट्टा निवासी परिवार वालों ने बताया कि 2018 में जाजमऊ निवासी बाबू भाई की टेनरी में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। जिसमें पीड़िता की मां गवाह थी।

मामले में आरोपित बाबू भाई समेत जमील, फिरोज, महफूज, महबूब, पिंटू व वकील उसे गवाही न देने के लिए धमकाने के साथ मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। नौ जनवरी को आरोपितों ने घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने दोनों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार रात पीड़िता की घायल मां की मौत हो गई।

मुठभेड़ में दो और आरोपित पकड़े : पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने के लिए हमला कर किशोरी की मां की जान लेने वाले दो और आरोपित परवेज आलम उर्फ मिंटू और मो. आबिद को चकेरी पुलिस ने शनिवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

जब संसद खराब कानून बनाती है तो जज करते हैं सांसदों का काम : अंसारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शनिवार को कहा कि जब संसद खराब कानून बनाती है तो उसका अंत किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है और जजों को वह काम करना पड़ता है जो सांसदों को करना चाहिए।

▸ उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की सहमति और लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है

'संसद-2020' नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि अच्छे कानून तब बनते हैं जब संसद और विधानसभाएं वर्तमान शासक के विचारों का अनुमोदन नहीं करतीं। लोकतंत्र में लोगों की सहमति और लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के पूर्व सभापति ने कहा कि पहले संसद 10 दिनों के लिए बैठती थी, अब साल में 60 दिन के लिए बैठती है जबकि अन्य देशों में विधायिका की बैठकें 120 से 150 दिनों के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून या नियम बनाने के लिए उस पर चर्चा के लिए काफी समय की जरूरत होती है, लेकिन संसद और विधानसभाओं के सत्र आज रस्म अदायगी भर रह गए हैं जहां आप मिलते हैं, कुछ चीजें कहते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं और चले जाते हैं। अंसारी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सलाह-मशविरे की प्रक्रिया निष्पक्ष और खुली होनी चाहिए।

एनआइए ने संभाला देविंदर से पूछताछ और जांच का जिम्मा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकियों संग पकड़े गए जम्मू-कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के मामले की जांच का जिम्मा शनिवार को औपचारिक रूप से संभाल लिया। एनआइए ने एक एफआइआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस से जरूरी दस्तावेज भी हासिल किए हैं। एनआइए उसे रविवार या सोमवार को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी।

डीएसपी देविंदर सिंह को गत शनिवार को दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस के एक दस्ते ने हिजबुल मुजाहिदीन के दो नामी आतंकियों नवीद और आतिफ उर्फ आसिफ व लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर इरफान शफी मीर के साथ पकड़ा था। डीएसपी देविंदर सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से हथियारों का एक जखीरा और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की। हालांकि, एनआइए के अधिकारियों का एक दल पहले ही दिन से राज्य पुलिस के साथ मिलकर देविंदर सिंह और उसके साथ पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में जुटा है।

केस डायरी न होने से बेहमई नरसंहार पर फिर टला फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी पेश करने का आदेश

39 साल पहले बेहमई गांव में हुए नरसंहार में शनिवार को भी फैसला नहीं आ सका। इसका कारण निर्णय के लिए पेश की गई पत्रावली का अधूरा होना रहा। न्यायालय ने सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी पेश करने का आदेश दिया और अगली तारीख 24 जनवरी तय कर दी।

14 फरवरी-1981 को कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में फूलन देवी, मुस्तकीम, रामऔतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 डकैतों ने धावा बोला था। उन्होंने घरों में लूटपाट के साथ ही 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मुकदमा दर्ज कराने के बाद 24 अगस्त-2012 को पांच अभियुक्तों भीखा, पोसे उर्फ पोसा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण स्वरूप, श्याम बाबू व राम सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो सका। पांचों आरोपितों में से भीखा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी व श्याम बाबू जमानत पर हैं जबकि पोसा व राम सिंह जेल में बंद थे। 13 फरवरी 2019 को जेल में राम सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद छह जनवरी फैसले की तिथि तय की थी लेकिन बचाव पक्ष ने कुछ रूलिंग पेश करने का समय मांगा तो न्यायालय ने 18 जनवरी की तारीख तय की। अब न्यायालय में पत्रावली पेश की गई तो मूल केस डायरी गायब थी। इससे फैसला फिर टल गया। न्यायालय ने सत्र लिपिक को नोटिस देकर मूल केस डायरी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मूल केस डायरी पत्रावली में होनी चाहिए लेकिन उसकी जगह फोटोकापी है। न्यायालय ने मूल केस डायरी तलाश कर पेश करने के आदेश दिए हैं। अब 24 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में ब्रजेश की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट के निर्णय से पहले दाखिल की गई ब्रजेश ठाकुर की याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी।

ब्रजेश ठाकुर की याचिका में कहा गया था कि सीबीआइ ने आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें साफ कहा गया कि जिन बच्चियों की हत्या के आरोप लगाए गए हैं उनमें से कई बच्चियां जिंदा हैं। ऐसे में बच्चियों के बयान को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा सकता। अपील में सीबीआइ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय सुनाने से पहले ब्रजेश ठाकुर के पक्ष को दोबारा सुनने की बात कही गई थी। लेकिन, एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने साफ किया कि दोनों अलग तरह के मामले हैं। वह 20 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे। जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि बिहार में चल रहा मामला हत्या का है, जबकि उनके सामने बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला है। ऐसे में ब्रजेश ठाकुर की याचिका को खारिज किया जाता है।

नृपेंद्र एनएमएमएल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही एनएमएमएल सोसायटी और एनएमएमएल कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन पूरा हो गया।

सरकार ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को परिषद के सदस्य पद से हटाते हुए पिछले साल नवंबर में एनएमएमएल सोसायटी का पुनर्गठन किया था। उसमें रजत शर्मा और प्रसून जोशी सहित अन्य को शामिल किया गया था।

संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 74 वर्षीय मिश्रा को 14 जनवरी को एक आदेश जारी कर नियुक्त किया गया। उन्होंने अगस्त, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव का पद छोड़ा था। आदेश में कहा गया है कि प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश परिषद उपाध्यक्ष होंगे।

एनएमएमएल सोसायटी के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। केंद्रीय मंत्री

नृपेंद्र मिश्रा। फाइल

अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर, वी. मुरलीधरन और प्रह्लाद सिंह पटेल, आइसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इनके अलावा यूजीसी के अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड के प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह इसके नए सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में अनिर्बान गांगुली, सचिदानंद जोशी, कपिल कपूर, लोकेश चंद्रा, मकरंद परांजपे, किशोर मकवाना, कमलेश जोशीपुरा, रिजवान कादरी और आइजीएनसीए अध्यक्ष राम बहादुर राय शामिल हैं।

नक्सली हमले में एसपी समेत 29 की शहादत की होगी न्यायिक जांच

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 11 वर्ष पहले 12 जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में हुए नक्सली मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। इस वारदात में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी (आइपीएस) विनोद कुमार चौबे समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। जांच के लिए 11 बिंदु तय किए गए हैं। आयोग छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।

12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव के मदनवाड़ा कैंप से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इसमें दो पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। वएसपी चौबे सुरक्षाबलों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। रास्ते में ग्राम कोरकोट्टी के पास नक्सलियों ने घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एसपी समेत 25 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने जांच आयोग के गठन की वजह भी बताई है। इसमें कहा गया है कि जांच में भ्रमों को दूर किया जाएगा।

उम्मीद

विहिप के संत सम्मेलन में होगी घोषणा, कई केंद्रीय पदाधिकारी पहुंचे, मंदिर निर्माण के दौरान शिला पूजन वाले गांवों में मनाया जाएगा रामोत्सव

रामनवमी से मंदिर निर्माण का श्रीगणेश संभव

ज्ञानेन्द्र सिंह, प्रयागराज

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के श्रीगणेश की तिथि राम नवमी घोषित हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने यह एलान किया है कि माघ मेला में 21 जनवरी को होने वाले संत सम्मेलन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी। मंदिर निर्माण के शुभारंभ के दौरान देशभर के उन गांवों में रामोत्सव भी मनाया जाएगा, जहां 1989 में शिलापूजन कार्यक्रम हुए थे। आधारशिला समारोह में देश और विदेश से भी संत शिरकत करेंगे।

विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कहा है कि संत सम्मेलन में ही मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले ट्रस्ट को लेकर भी रणनीति बनेगी। सम्मेलन के एक दिन पहले 20 जनवरी को माघ मेला स्थित विहिप के शिविर में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें लगभग तीन सौ संत तथा पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस बैठक के लिए केंद्रीय पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं। विहिप के संरक्षक दिनेश कुमार, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संयोजक जीवेश्वर मिश्र,

राम मंदिर का मॉडल। फाइल फोटो

▸ आधारशिला समारोह में देश और विदेश से भी संत शिरकत करेंगे

▸ संत सम्मेलन में गठित होने वाले ट्रस्ट को लेकर भी रणनीति बनेगी

उपाध्यक्ष चंपत राय, विहिप की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी पिसवे, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज पहुंच चुके हैं। विहिप के अध्यक्ष वीएस कोगजे, कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, संगठन महामंत्री विनायक रविवार तक आ जाएंगे।

केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संयोजक जीवेश्वर मिश्र ने दैनिक जागरण को बताया कि मंदिर निर्माण की तिथि की घोषणा संत सम्मेलन में की जाएगी। तिथि मार्गदर्शक मंडल की बैठक में ही तय की जाएगी। कहा कि इसके लिए राम नवमी तिथि सबसे उपयुक्त है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तिथि की घोषणा की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने भी कहा कि नवरात्र में यह दिन सबसे ज्यादा खास होता है, इसलिए इस दिन पर सहमति बन सकती है।

फिलहाल, यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में ही तय होगा। विहिप के उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण के लिए जिस दिन आधारशिला रखी जाएगी, उस समय शिलापूजन वाले गांवों व मोहल्लों में रामोत्सव मनाया जाएगा।

राम सुतार करेंगे श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण

कुंदन तिवारी, नोएडा

अयोध्या में भगवान श्रीराम की 215 मीटर ऊंची विशालकाय मूर्ति स्थापित करने की कवायद प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। उम्मीद है कि नौ फरवरी तक ट्रस्ट के गठन के साथ ही मूर्ति का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा तैयार करने वाले नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार को ही भगवान श्रीराम की मूर्ति के निर्माण का जिम्मा प्रदेश सरकार ने सौंपा है।

पिछले दिनों ही प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 447 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इस राशि से 61 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह राशि निर्माण के लिए तकनीकी अध्ययन करने के लिए स्वीकृत 200 करोड़ रुपये के अलावा है। अयोध्या के मीरपुर गांव में 61 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 447.46 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी जा चुकी है। इससे भगवान राम की प्रतिमा,

भगवान राम की मूर्ति के दो प्रारूप सरकार को सौंपे गए थे। इसमें से पहले प्रारूप को संस्तुति प्रदान कर दी गई है। भगवान श्रीराम की मूर्ति के निर्माण का जैसे ही आदेश मिलेगा, कार्यशाला में काम शुरू कर दिया जाएगा।

–राम सुतार, मूर्तिकार

एक डिजिटल संग्रहालय, एक व्याख्यान केंद्र, एक पुस्तकालय, एक फूड प्लाजा, पार्किंग और पर्यटकों की जरूरत से जुड़ीं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मूर्ति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पिछले दिनों राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।

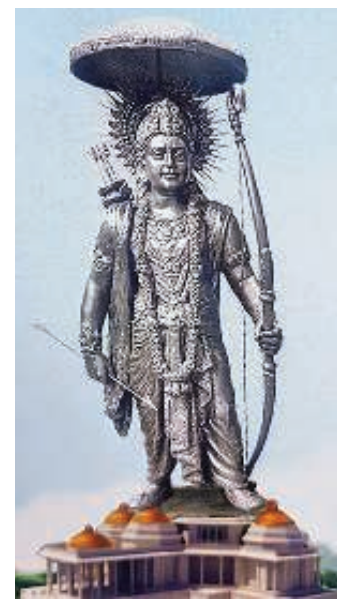

अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान श्रीराम की विशालकाय प्रतिमा का प्रारूप।

सौजन्य : राम व